

प्रोजेक्ट पर वनमण्डलाधिकारी का अभिमत

डिण्डौरी सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत मार्ग चौड़ीकरण के प्रकरण में परिक्षेत्र शहपुरा के वनकक्ष क्रमांक O-1249, RF-35, O-1119 रकवा 5.514हे0, शाहपुर के वनकक्ष क्रमांक O-1345, वन विभाग के अधिपत्य में गोदाम की भूमि रकवा 0.711हे0 एवं परिक्षेत्र डिण्डौरी के वनकक्ष क्रमांक— RF-194, RF-245 रकवा 2.231हे0, कुल रकवा 8.456 हे0 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर के उपरोक्तानुसार वनकक्षों से मार्ग निर्माण (चौड़ीकरण) अंतर्गत जबलपुर-कुण्डम-शहपुरा (रा.रा.45) मार्ग हेतु परिक्षेत्र शहपुरा अंतर्गत प्रभावित मार्ग की लंबाई 1832 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर एवं लंबाई 368 मीटर चौड़ाई 30मीटर कुल रकवा 5.514हे0 एवं परिक्षेत्र शाहपुर अंतर्गत प्रभावित मार्ग की लंबाई 200 मीटर चौड़ाई 30 मीटर, लंबाई 111 मीटर, चौड़ाई 10मीटर कुल रकवा 0.711हे0, वनपरिक्षेत्र डिण्डौरी प्रभावित मार्ग लंबाई 15 मीटर चौड़ाई 21 मीटर, लंबाई 100 मीटर चौड़ाई 23.95, लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई 22.8मीटर, लंबाई 250 मीटर, चौड़ाई 30मीटर, लंबाई 85 मीटर चौड़ाई 25मीटर, लंबाई 300 मीटर चौड़ाई 24 मीटर, लंबाई 45 मीटर चौड़ाई 23.67मीटर कुल रकवा 2.231हे0 कुल प्रभावित वनभूमि रकवा 8.456हे0 उपयोग करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव दिया गया है। अतः मार्ग निर्माण (चौड़ीकरण) के लिए 8.456 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी